


माननीय विद्वत परिषद् की 47वीं बैठक का कार्यवृत्त



स्थान: कुलपति सभाकक्ष
दिनांक: 11 जून, 2012
समय: पूर्वाह्न 11.00 बजे



कुलसचिव कार्यालय
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ— 250 110

दिनांक 11 जून, 2012 को कुलपति सभाकक्ष में माननीय विद्वत परिषद की 47वीं बैठक, आयोजित की गयी थी, कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

उपस्थिति:

1	डा० अरविन्द कुमार बख्खी	अध्यक्ष
2	श्री आशाराम	सदस्य
3	डा० एस०ए० कर्खी	सदस्य
4	डा० रघुवीर सिंह	सदस्य
5	डा० सत्य प्रकाश	सदस्य
6	डा० देवी सिंह	सदस्य
7	डा० जे० यादव	सदस्य
8	डा० राजवीर सिंह	सदस्य
9	डा० वाई० पी० सिंह	सदस्य
10	डा० अनिल सिरोही	सदस्य
11	डा० एस० के० भट्टाचार्य	सदस्य
12	डा० पूर्ण चन्द	सदस्य
13	डा० आर० आर० सिंह	सदस्य
14	डा० जी० आर० सिंह	सदस्य
15	डा० प्रशांत मिश्रा	सदस्य
16	डा० मुकेश कुमार	सदस्य
17	डा० संदीप कुमार	सदस्य
18	डा० शालिनी गुप्ता	सदस्य
19	डा० आकाश तौमर	सदस्य
20	डा० सी०ए०स० प्रसाद	सदस्य—सचिव

अनुपस्थिति:

1	डा० बाबूराम	सदस्य
2	डा० राज बीर सिंह	सदस्य

प्रारम्भ में कुलसचिव/सदस्य—सचिव विद्वत परिषद ने माननीय अध्यक्ष विद्वत परिषद एवं सम्मानित सभी सदस्यों का 47वीं बैठक में स्वागत किया तत्पश्चात् माननीय कुलपति/अध्यक्ष, विद्वत परिषद की अनुमति प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

11-1

कुलसचिव/सदस्य सचिव
विद्वत परिषद

Jorm - Balaji

कुलपति/अध्यक्ष
विद्वत परिषद

संकल्प संख्या-1

दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 को माननीय विद्वत परिषद की 46वीं बैठक की कार्यवाही का पुष्टीकरण।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 को आयोजित विद्वत परिषद की 46वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या-2

माननीय विद्वत परिषद की 46वीं बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या।

संकल्प सं०	संकल्प	अनुपालन आख्या
1	माननीय विद्वत परिषद की 46वीं बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 की कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि कर दी गई।
2	दिनांक 18 जनवरी, 2012 को आयोजित होने जा रहे चतुर्थ दीक्षांत समारोह में स्नातक / स्नातकोत्तर उत्तर पर उत्तीर्ण हुये छात्र/छात्राओं को उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्ताव।	माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कार्यवाही— कुलसचिव
3	शैक्षणिक सत्र 2007–08 के लिए समिति की संस्तुति एवं माननीय कुलपति जी के अनुमोदन पर कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं कुलपति स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदकों को निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को प्रदान किये जाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। भविष्य में कुलाधिपति स्वर्ण पदक निर्धारित करते समय विद्वत परिषद को खेल-कूद एवं अन्य पादयत्तर गतिविधियों की विस्तृत रूप से जानकारी देने का निर्णय लिया। साथ ही एक समिति का गठन किया गया, जोकि भविष्य में कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु शैक्षिक योग्यता निर्धारित करेगी। समीति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:- 1. डा० वाई०पी० सिंह अध्यक्ष 2. डा० जौयादव सदस्य 3. डा० रविन्द्र कुमार सदस्य 4. डा० पुरुषोत्तम सदस्य 5. डा० जितेन्द्र सदस्य कार्यवाही— कुलसचिव
4	शैक्षणिक सत्र 2012–013 के सूचना विवरणोंका हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सीट तथा आईता निर्धारित किये जाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कार्यवाही— कुलसचिव
5	मा० कुलपति जी के अनुमोदन उपरान्त आकादमिक सत्र 2011–12 के प्रथम सेमेस्टर के एकेडमिक कलेन्डर में संशोधन (फाइनल परीक्षा में संशोधन) प्रस्ताव मा० विद्वत परिषद में अनुमोदन हेतु प्रेषित	माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कार्यवाही— कुलसचिव
6	Accreditation for Master/Ph.D. research and teaching programme.	माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कार्यवाही— अधिष्ठाता स्नातकोत्तर
7	विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं पी०एच-डी० की मौखिक परीक्षाओं (Viva-Voice) के लिए आये बाह्य परीक्षकों हेतु टी०१०/डी०१०/Remmuneration के भुगतान हेतु प्रस्ताव	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया कि कुलसचिव के पदनाम से बैंक में एक खाता खोला जाये और उसमें कुछ धनराशि आवंटित कर दी जाये उस धनराशि से विश्वविद्यालय में आने वाले परीक्षकों का यात्रा भत्ता एवं रिमूनूरेशन आदि का भुगतान कुलसचिव से स्वीकृति के पश्चात श्री संदीप राणा, सहायक लेखाकार द्वारा किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बाह्य परीक्षकों द्वारा अपने वाहन का प्रयोग करने के लिए विश्वविद्यालय में निर्धारित रु० 7.50 प्रति किमी की दर से भुगतान किया जायेगा तथा टैक्सी की बिल उपलब्ध बिल के अनुसार देय होगा। बाह्य परीक्षकों को स्वयं के वाहन एवं टैक्सी का भुगतान

		मातृ कुलपति जी की स्वीकृति के पश्चात किया जायेगा। कार्यवाही—कुलसचिव
8	विभागाध्यक्ष का कार्यकाल अक्रान्तक्रम में तीन वर्ष की जगह 05 वर्ष करने तथा विभाग के प्राध्यापकों में से चयन प्रक्रिया अपनाकर विभागाध्यक्ष बनाने हेतु।	माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कार्यवाही— प्रभारी अधिकारी कार्मिक
9	To start Diploma Course on Fruit & Vegetable Processing and Bakery Technology under self finance at SVPUA&T, Meerut through CATET 2012.	माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कार्यवाही— कुलसचिव
10	अधिष्ठाता छात्र कल्याण कायालय से सम्बन्धित विभिन्न पदों के सृजन हेतु।	माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव क्रम संख्या-10 पर अवबद के पद को छोड़कर, अधिस कार्यवाही हेतु अनुमोदित किया गया। कार्यवाही— प्रभारी अधिकारी कार्मिक
10	विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स स्टेडियम हेतु दो Physical Instructor संविदा के आधार पर रखे जाने हेतु।	विद्वत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि जिला खेल-कूद अधिकारी मेरठ से उक्त विषय पर सम्पर्क करने के उपरान्त प्रस्ताव को बढ़ाया जाये। साथ ही निर्णय लिया गया कि भविष्य में खेल मैदान में किसान मेला नहीं लगाया जाये। कार्यवाही— अधिष्ठाता छात्र कल्याण
अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।		
संकल्प सं0-A	Restructuring of Diploma courses proposed under AIP from two year duration to one year duration	उक्त प्रस्ताव को दो वर्ष से बदल कर एक वर्ष का डिप्लोमा संचालित करने हेतु अनुमोदन किया गया। कार्यवाही— प्रौढ शमशेर, डा० अनिल सिरोही एवं डा० अर्चना आर्या
संकल्प सं0-B	Regarding providing the AAKASH tablet PC to students and scientists and wi-fi campus.	उक्त प्रस्ताव को माननीय विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया कि विद्यार्थियों को e-learning facilities के अन्तर्गत हास्टल एवं पूरे कैम्पस को wi-fi कैम्पस बनाया जायेगा, जहाँ से विद्यार्थी e-learning के सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए प्रत्येक विद्यार्थी से मात्र रु० 5000.00 आगामी फीस में रजिस्ट्रेशन के समय लिया जाने प्रस्तावित है, जिसमें उक्त सुविधा के साथ-साथ हास्टल में भी विकास कार्य किये जायेंगे। उक्त के सन्दर्भ में पुनः चर्चा की गयी एवं निर्णय लिया गया कि आकाश टैबलेट लेने हेतु प्रत्येक नये विद्यार्थियों से मात्र रु० 1138.00 लिया जायेगा एवं वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रु० 3000.00 सभी (पुराने एवं नये) विद्यार्थियों से लिया जायेगा। कार्यवाही— श्री दीपक सिसोदिया
संकल्प सं0-C	Regarding approval of examination & evaluation, examiners & paper setters, attendance, list of papers & constituent courses for annual examination, promotions and failure, Compartment examinations, Scrutiny of answer book and rectification of errors, moderation of question paper and results, method of calculation and recording of grade points, year wise detail marks certificate, transcript, calculation of Overall Grade point average (OGPA) etc. as per the Gazette of India/Notification of Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (Veterinary Council of India) dated 11 August, 2008.	माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कार्यवाही— कुलसचिव एवं अधिष्ठाता पशु विकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय
संकल्प सं0-D	प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि शिक्षक सम्बर्ग की महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल की स्वीकृति हेतु माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। कार्यवाही— प्रभारी अधिकारी कार्मिक

अंत में, कुलसचिव/सदस्य-सचिव, माननीय विद्वत परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय व सभी उपस्थित

सदस्यों का धन्यवाद प्रेषित किया गया, तदोपरान्त विद्वत परिषद की बैठक का समापन हुआ।

संकल्प सं0-3 माननीय विद्वत परिषद की 40-45वीं बैठक में पारित सभी संकल्पों की पुनः पुष्टि का प्रस्ताव।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— कुलसचिव

संकल्प सं0-4 स्नातकोत्तर एवं पी0एच-डी0 (कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन) पाठ्यक्रमों में पुनरीक्षित कोर्स सलेबस के सम्बन्ध में।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता स्नातकोत्तर

संकल्प सं0-5 स्नातकोत्तर एवं पी0एच-डी0 (कीट विज्ञान) पाठ्यक्रमों में पुनरीक्षित कोर्स सलेबस के सम्बन्ध में।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता स्नातकोत्तर एवं विभागाध्यक्ष कीट विज्ञान

संकल्प सं0-6 स्नातक पाठ्यक्रम में Organic Farming विषय को सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता कृषि

संकल्प सं0-7 स्नातकोत्तर एवं पी0एच-डी0 (सस्य विज्ञान) पाठ्यक्रमों को फोर्थ डीन कमेटी के अनुसार संशोधित प्रारूप अनुमोदित करने विषयक।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता स्नातकोत्तर एवं विभागाध्यक्ष सस्य विज्ञान

संकल्प सं0-8 Experiential Learning Programme का संशोधित प्रारूप अनुमोदित करने विषयक।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता कृषि

संकल्प सं0-9 Memorandum of Understanding between SVPUA&T, Meerut and CSSRI, Karnal.


माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही क्रम संख्या-12 को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता स्नातकोत्तर

M-2

5

कुलसचिव/सदस्य सचिव
विद्वत परिषद


कुलपाति/अध्यक्ष
विद्वत परिषद

संकल्प सं0-10 जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय में बाह्य परीक्षा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में।

कृषि महाविद्यालय में बाह्य परीक्षा प्रणाली के अनुसार ही जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में भी बाह्य परीक्षा प्रणाली को लागू करने हेतु माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता जैव प्रौद्योगिकी / कुलसचिव

संकल्प सं0-11 अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्य प्रस्ताव—

1. (a) Non-credit compulsory courses to be offered for award of M.Tech degree in AE&FT
- (b) Non-Credit compulsory courses to be offered for award of Ph.D. degree in AE&FT.

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता कृषि / विभागाध्यक्ष(AE&FT)

2. छात्राओं को वर्क असिस्टेन्टशिप दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया जोकि इसका स्वरूप तैयार करेगी:

1. अधिष्ठाता स्नातकोत्तर
2. अधिष्ठाता कृषि
3. अधिष्ठाता जैव प्रौद्योगिकी
4. अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता छात्र कल्याण

कार्यवाही— अधिष्ठाता स्नातकोत्तर / अधिष्ठाता कृषि

3. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में बाह्य परीक्षा/प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षकों के रेमुनरेशन दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि वर्तमान में दिये जाने वाले रेम्यूनरेशन में परिवर्तन करते हुए सभी विषयों एवं पाठ्यक्रमों (कृषि महाविद्यालय / जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय / पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय) के बाह्य परीक्षकों को कम से कम ₹0 1000.00 प्रति कोर्स (लिखित / प्रयोगात्मक परीक्षा एवं Viva-Voce) का भुगतान देय होगा। उक्त प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परीषद में ले जाने हेतु निर्णय लिया गया।

कार्यवाही— कुलसचिव

4. Revised courses for PG & Ph.D in the Deptt. Of Agric Biotechnology.

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता स्नातकोत्तर

5. शिक्षकों को अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों के अतिरिक्त छात्रावास के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने पर विश्वविद्यालय नियमानुसार अतिरिक्त भत्ता एवं होस्टल के पास जिस श्रेणी का मकान रिक्त होगा निःशुल्क आवंटित किया जायेगा।

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्डन को अतिरिक्त भत्ता ₹ 300 से बढ़ाकर ₹ 1000.00 किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया। साथ ही उक्त प्रस्ताव को मात्र प्रबन्ध परिषद में ले जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही— कुलसचिव

6. Outsider expert to evaluate the Ph.D. thesis research work as a member of the expert committee constituted by the Chairman Advisory Committee of the respective Ph.D. scholar for the purpose of his fellowship upgrading from JRF to SRF by UGC after two years completion of JRF. This outsider expert norm was required by UGC who is providing the Rajiv Gandhi UGC fellowship for Ph.D scholar.

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— अधिष्ठाता स्नातकोत्तर

7. छात्रों/छात्राओं की फीस के सम्बन्ध में।

माननीय विद्वत परिषद में उक्त विषय पर चर्चा की गयी एवं निर्णय लिया गया कि गत वर्ष से फीस स्टेयरिंग कमेटी में निर्धारित फीस के अनुसार नये एवं पुराने छात्रों से ली जायेगी। उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही— कुलसचिव/वित्त नियंत्रक

बैठक के अंत में, कुलसचिव/सदस्य—सचिव, विद्वत परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय व सभी सदस्यों का धन्यवाद प्रेषित किया गया, तदोपरान्त विद्वत परिषद की बैठक का समापन हुआ।

M. —
कुलसचिव/सदस्य सचिव
विद्वत परिषद

8/12/2018
कुलपति/अध्यक्ष
विद्वत परिषद